न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :–सावन कुमार चायल (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 56/2017
निर्णय दिनांक 20/06/2017

1. गोपाल पुत्र झुथा गुर्जर निवासी ग्राम जयपालपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. घासी पुत्र झुथा गुर्जर निवासी ग्राम जयपालपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. रामनारायण पुत्र झुथा गुर्जर निवासी ग्राम जयपालपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

प्रतिवादी

वाद घोषणा दुरस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:– दिनांक:–20/06/2017

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है वादीगण कि क्रयशुद्वा खातेदारी आराजी खसरा न0 1837/5 रकबा 10 बिघा 17 बिस्वा वाके ग्राम नारायणपुरा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित है जिसमे वादीगण का 4/10 हिस्सा है जिसे आगे चलकर वाद पत्र मे विवादित आराजी से सम्बोधित किया गया है। वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनका उपरोक्त वर्णित आराजी मे हक व अधिकार है तथा पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड मे वादीगण घासी रामनारायण गोपाल के पिता का नाम मेवाराम दर्ज है व वादी गोपाल की जगह रामगोपाल है जबकि वादीगण के समस्त दस्तावेजो जैसे राजस्व रिकार्ड अन्य जमाबन्दी भामाशाह कार्ड राशन कार्ड परिचय पत्र आदि मे पिता का नाम झुँथाराम दर्ज है वादी गोपाल का रामगोपाल कि जगह गोपाल है।आराजीयात क्रयशुद्वा आराजीयात है तथा विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई है वादीगण अपेक्षित विक्रय पत्र पंजिकृत तैयार करते वक्त टंकन की भूल से विक्रय पत्र मे क्रेता घासी रामनारायण रामगोपाल पिता मेवा लिखा गया था जबकि वास्तव मे उस दिन भी वादीगण के पिता का नाम झुँथा ही था। टंकन की भूल से जो विक्रय पत्र मे गवाह था उस का नाम पिता के नाम से दर्ज कर दिया गया जबकि क्रेता वास्तविक रूप से झुँथा के पुत्र थे विक्रय पत्र मे जो प्रविष्टी हो गई है। जो कि उक्त कारणवश टंकन होने से हुई है काबिले दुरस्त है। वादीगण के पिता झुँथा राम ने अपने पुत्रो के नाम विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया था जिसमें टंकन की गलती से उक्त नाम दर्ज हो गया। विक्रय पत्र कि अनुपालना मे ही राजस्व अभिलेखो मे प्रविष्ट आ गई है जो आज तक निरन्तर चली आ रही है जिससे वादीगण को

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

राज्य सरकार द्वारा देय लाभो/ परिलाभो से वंचित होना पड रहा है। वाद का हेतुक दिनांक 16/02/2017 को वादीगण को गलत इन्द्राज कि जानकारी होने से उत्पन्न हुआ है जो अन्दर मियाद पेश है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर बताया की वाद मे अंकित भूमि वादीगण ने वर्ष 1992 मे विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई थी जिसमे वादीगण का नाम रामगोपाल, रामनारायण, घासी, पिसरान मेवा दर्ज किया हुआ है वादीगण संख्या 1 अपना नाम गोपाल व पिता का नाम झूँथा व प्रतिवादी 2, 3 उनकी वल्दीयत मेवा के स्थान पर झुँथा दर्ज करवाना चाहते है जिसको स्वंय सिद्व करे। वादी को साक्ष्य पेश करने के आदेश दिये गये। वादी ने साक्ष्य में हरिनारायण पुत्र सुखा गुर्जर प्रहलाद पुत्र रामलाल गुर्जर के शपथ पत्र पेश किये।

वकील वादीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गईं। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी सम्बत 2069–72 खाता संख्या 14 ख0न0 1837/5 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा में घासी, रामनारायण, रामगोपाल पिता मेवा दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.09.1992 में वादीगण का नाम केंता के रूप में घासी, रामनारायण, रामगोपाल पि0 मेवा अंकित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड में घासी पुत्र झुथा, रामनारायण पुत्र झुथा, गोपाल पुत्र झुथा अंकित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहान के शपथ पत्र के अनुसार वाद ग्रस्त भूमि पर वादीगण का काबिज काश्त होना बताया है। उपरोक्त तथ्यो के विवेचन से यह जाहिर है कि वादीगण का नाम वरवक्त विक्रय पत्र में सहवंन से गलत दर्ज कर दिया गया है इसलिये लोक अदालत की भावना से वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद लोक अदालत की भावना से विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा न0 1837/5 रकबा 10 बिघा 17 बिस्वा वाके ग्राम नारायणपुरा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजी में घासी, रामनारायण, रामगोपाल पुत्र मेवा के स्थान पर घासी, रामनारायण, गोपाल पुत्र झुथा राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार फागी को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2017 को कैम्प कोर्ट मोहनपुरा पृथ्वीसिंह में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय पदेन उपखण्ड अधिकारी फागी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट मोहनपुरा पृथ्वीसिंह)

पीठासीन अधिकारी :–सावन कुमार चायल (आर ए एस)

उनवान

गोपाल वगै0 बनाम तहसीलदार

वाद घोषणा दुरूस्ती इन्द्रांज व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 056/2017

निर्णय

दिनांक :– 20.06.2017

वादीगण की ओर से सुरेन्द्र शर्मा एडवोकेट व प्रतिवादी पेरोकार सरकार उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.06.2017 को श्री सावन कुमार चायत (आर ए एस) पदेन उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि–

अतः वादीगण का वाद लोक अदालत की भावना से विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1837/5 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम नारायणपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में घासी, रामनारायण, रामगोपाल पुत्र मेवा के स्थान पर घासी, रामनारायण, गोपाल पुत्र झुथा राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार फागी को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पालना तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

(सावन कुमार चायल)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी फागी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. रूपयेपरप्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	Nil	5. आदेशिका की तामिल	Nil
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

(सावन कुमार चायल)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी फागी